रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1965 (चैत्र 6, 1887)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1965 (CHAITRA 6, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 6 मार्च, 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 6th March, 1965 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
23	सं० 10 (3)-टैरि/64 दिनांक 14 दिसम्बर 1964	वाणिज्य मंत्रालय	सोडा-राख उद्योग का संरक्षण के लिये सिफारिशें ।
	सं० 12 (1)-टैरि/64 दिनांक 14-12-64	,,	कैल्सियम कार्बाइड उद्योग का संरक्षण के लिये सिफारिशें ।
	सं० 10 (2)-टैरि/64 दिनांक 14-12-64	,,	कास्टिक सोडा उद्योग का संरक्षण के लिये सिफारिशें ।
	सं० 4 (1)-टैरि/64 दिनांक 14-12-64	,,	टाइटैनियम डायोक्साइड उद्योग का संरक्षण के लिये सिफारिशें ।
	सं० 14 (1)-टैरि/64 दिनांक 14-12-64	,,	रंग-सामग्री का संरक्षण के लिये सिफारिशें ।
	सं० 14 (1)-टैरि/64 दिनांक 14-12-64	,,	दी गई विनिर्दिष्ट चीजों पर कुछ रकम का सीमाशुल्क उद्ग्रहीत किया जाना ।
	सं० 1 (1)-टैरि/64 दिनांक 14-12-64	,,	ऐल्युमिनियम उद्योग का संरक्षण के लिये सिफारिशें ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	147
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	237
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	151
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित है) ..	495
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	1021
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	83
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	179
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसे ..	103
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तो द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	21
भाग III—खंड 4—विधिक निकायो द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमे अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसे शामिल है ..	2359
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियो और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	61
पूरक स० 12—	
20 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	403
27 फरवरी, 1965 को समाप्त होनेवाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आकड़े ..	413

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 147

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 237

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence 151

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills ... ... —

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories .. 495

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issed by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories 1021

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ... 83

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 179

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ... 103

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 21

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2359

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 61

SUPPLEMENT No. 12—

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 20th March 1965 403

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 27th February 1965 413

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली-11, दिनाक 16 मार्च 1965

सं० 4/2/64-एस० आर० (आर०)-ए०—असम के पहाड़ी क्षेत्रों में गारो, संयुक्त खासी और जैन्तिया, मीजो, संयुक्त मिकिर और उत्तर कछार पहाड़ी जिलों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के विशेष उपबन्धों के अनुसार किया जाता है और उक्त उपबन्धो के द्वारा ही इन क्षेत्रों को स्वायत्त शासन का कुछ अधिकार दिया गया है । भारत सरकार के समय-समय पर इस बात की मांग की गई है कि इन क्षेत्रों को जो स्वायत्तता दी गई है उसका विस्तार किया जाए ताकि इस क्षेत्र में जो विकास का काम हो रहा है उसकी गति बढ़े और वहा के जन-समुदाय का इस कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त हो सके तथा आदिम जातियों के हितों की रक्षा प्रभावपूर्ण ढंग से की जा सके । भारत सरकार ने इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा इन पहाड़ी क्षेत्रो के लोगो के हित में इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपने राज्य के वृहद् राजनैतिक एव आर्थिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें तथा सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि असम की एकता बनाए रखने, समूचे असम राज्य के लिये समान विधानमंडल को चालू रखने तथा राज्य के लिये सामान्य विधान-सभा के प्रति सामूहिक एवं सम्मिलित उत्तरदायित्व के आधार पर मंत्रिमंडल शासन पद्धति को कायम रखते हुए यह वांछनीय होगा कि इन पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्रदान की जाए ।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पहाड़ी नेताओं से असम के पहाड़ी क्षेत्रों के भावी प्रशासनिक प्रबंध की सामान्य रूपरेखा पर बातचीत की थी और मोटे तौर पर वे लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे थे । भारत सरकार के विचार से यह आवश्यक है कि इस काम के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाए जो इस समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तथा उनके विचार-विमर्श और निष्कर्ष के आधार पर इन क्षेत्रो के प्रशासनिक प्रबंध का पुनर्गठन करने के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जाए । तदनुसार, भारत सरकार ने असम सरकार से परामर्श कर एक आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री एच० वी० पाटस्कर — अध्यक्ष
2. श्री सी० एस० वेंकटाचार — सदस्य
3. श्री जी० एम० राव — सदस्य

2. असम राज्य की एकता को बनाए रखने, समूचे असम राज्य के लिये एक समान विधानमंडल को चालू रखने तथा राज्य विधान-सभा के प्रति सामूहिक एवं संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर मंत्रिमंडल शासन पद्धति को कायम रखते हुए, इन पहाड़ी क्षेत्रो को पूर्ण रूप से स्वायत्त-शासन प्रदान करने के मुख्य उद्देश्यो को ध्यान मे रखकर उक्त आयोग पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासनिक पुनर्गठन के लिये एक विस्तृत योजना की सिफारिश करेगा । इस योजना को लागू करने के लिये आयोग प्रशासनिक, वित्तीय और विधि संबंधी आवश्यक उपायों की भी सिफारिश करेगा ।

3. पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिये आयोग जिस योजना का सुझाव देगा, उसमें इस बात का भी विचार किया जाएगा कि योजना को ध्यान में रखते हुए, संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत गठित जिला और प्रादेशिक परिषदो के कार्यों की जाच करने के बाद उनके अधिकारों और कार्यों में क्या-क्या परिवर्तन जरूरी हैं तथा उपरोक्त अनुसूची में कौन-कौन से परिवर्तन, यदि कोई हों, तो किये जाएं ।

4 आयोग को अपनी क्रियाविधि जिसके अन्तर्गत सूचनाए एवं जन-मत संग्रह भी सम्मिलित है, निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी । आयोग की बैठकें साधारणतया असार्वजनिक रूप से हुआ करेंगी ।

5. आयोग का एक सचिव, आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारी होंगे ।

6. यह आयोग, जहा तक व्यवहार्य हो, जल्दी ही और 30 जून 1965 तक अपनी सिफारिशें भारत सरकार के पास भेज देगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेज दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भेज दी जाए ।

हरि शर्मा, विशेष सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनाक 16 मार्च, 1965

सं० 28(32)-टैरि०/64—सीमा शुल्क आयोग अधिनियम, 1951 (1951 के 50वें) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करती हुई भारत सरकार सीमाशुल्क आयोग (सेवा की शर्तें) नियम 1952 मे और भी संशोधन करने के लिये नीचे लिखे नियम बनाती हैं :—

1 इन नियमों को सीमाशुल्क आयोग (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1965 कहा जायेगा ।

2 सीमाशुल्क आयोग (सेवा की शर्तें) नियम 1952 मे, नियम 4 के उप-नियम (2) के पश्चात्, नीचे दिये उप-नियम को इस प्रकार से निविष्ट किया जायेगा —

"(2क) उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी सदस्य की पुनर्नियुक्ति यदि आयोग के सदस्य के रूप मे की जाती है, तो उसे अपने ऐसे अर्जित अवकाश को जो कि पहली नियुक्ति की अवधि में नहीं लिया गया, अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि के अर्जित अवकाश में सम्मिलित करने का अधिकार होगा ।"

एम० बनर्जी, उप-सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1965

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

सं० एफ० 1-3/64-एस० ई० I (बी० एस० ई० 6)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उप-कृषि आयुक्त (शिक्षा), श्री एम० के० मुखर्जी को 31 मार्च 1967 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामजद किया है ।

एल० डब्ल्यू० धूमे, उप सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1965

सं० 6-32/64-सी० जी०—भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दिनांक 17 अगस्त 1964 के प्रस्ताव संख्या 6-32/64-सी० (जी०) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को भी कृषि वैज्ञानिकों के पैनेल में सम्मिलित कर लिया जाए :—

1. डा० एस० एम० सिक्का,
   कृषि आयुक्त,
   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
   खाद्य और कृषि मंत्रालय,
   (कृषि विभाग),
   नई दिल्ली ।
2. डा० जे० एस० कंवर,
   अनुसंधान निदेशक,
   पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
   लुधियाना; और
3. डा० एस० प्रधान,
   प्रमुख वनस्पति विज्ञान प्रभाग,
   भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
   नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों और विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां), कृषि वैज्ञानिकों के पैनेल के समस्त सदस्यों, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्रों के कृषि और पशु-पालन निदेशकों, खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के अन्तर्गत समस्त सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ग० रा० कामत, सचिव

परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

पत्तन

संस्तव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1965

सं० 8-पी० जी० (158)/64—भारत सरकार को बम्बई पत्तन की 1963-64 की प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । रिपोर्ट के उल्लेखनीय तथ्य नीचे दिये जाते हैं :—

1—**वित्तीय स्थिति** : विचाराधीन वर्ष में पोर्ट ट्रस्ट का कुल राजस्व 1933.73 लाख रुपया था जबकि इसके विपरीत 1962-63 में वह 1429.30 लाख रुपया था । विचाराधीन वर्ष में सम्पूर्ण व्यय 1483.02 लाख रुपया हुआ । पिछले वर्ष व्यय की की राशि 1248.34 लाख रुपया थी । इस प्रकार 150.71 लाख रुपये का अधिशेष रहा । प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण घाट शुल्क से उच्चतर आमदनी, किराये के कुछ बकायों का तय हो जाना और पोर्ट ट्रस्ट के निवेश पर सूद में वृद्धि है । राजस्व व्यय की एक मुख्य विशिष्टता सामान्य आरक्षित निधि में 2 करोड़ रुपये का नवीन अंशदान और नवीकरण तथा प्रतिस्थापन निधि के अंशदान में 80 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी है । पोर्ट ट्रस्ट के आरक्षित निधि का सम्पूर्ण शेष वर्ष के अन्त में 31.01 करोड़ रुपया था । 16.80 करोड़ रुपये के बाकी ऋण में जनता को देय राशि 6.55 करोड़ रुपये की और सरकार को देय राशि 9.13 करोड़ रुपये की है । शेष 1.12 करोड़ रुपये ट्रस्टियों द्वारा रखा गया आंतरिक ऋण है । ऋण की अदायगी के लिये ट्रस्टियों ने सामान्य शोधन निधि में 6.34 करोड़ रुपये का शेष रखा है और मेरीन आयल टरमिनल के ऋण की अदायगी के लिये 3.75 करोड़ रुपये निलंबित लेखा में रखे हैं ।

2—**यातायात** : 1963-64 में ढोया गया कुल टनभार 17,349,000 था जिसमें आयात किया टन भार 11,885,000 टन और निर्यात किया 5,464,000 टन था । 1962-63 की ये ही संख्याएं क्रमशः 11,077,000 और 4,869,000 टन थीं और इनका योग 15,938,000 टन था ।

1963-64 में पत्तन प्रयुक्त करने वाले समुद्रपारीय यात्रियों की संख्या 154,057 थी और तटीय यात्रियों की संख्या 723,851 थी ।

3—**नौचालन** : इस वर्ष पत्तन में कुल 22 56 मिलियन टनभार के 3,216 पोत आए । 1962-63 मे यह संख्या कुल 21 77 मिलियन टन भार के 3,346 पोत थे । इस वर्ष इस पत्तन मे जो सबसे बड़ा पोत आया वह वाष्प पोत "राटरडान" था जो कुल 38,645 टन भार की क्षमता का था और सबसे बड़ा टैंक पोत—वाष्प पोत "इस्सो एडिनबर्ग" का था जो 31,685 कुल टन भार का था ।

1962-63 में पत्तन का व्यवहार 38,985 पालपोतों ने किया । इस वर्ष वह संख्या 38,027 रही ।

सूखी गोदी और जहाजों की मरम्मत : इस वर्ष 120 पोतों ने सूखी गोदी का उपयोग किया । मरम्मत के लिये जलीय गोदी में रखे जाने वाले पोतों की संख्या 71 थी । इनमें अलेक्जेन्ड्रा गोदी में रखे जाने वाले 19 पोत भी शामिल है ।

4—**निर्माण कार्य** : नीचे उन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की सूची दी जा रही है जिन पर इस वर्ष खर्चा किया गया —

निर्माण-कार्य	व्यय (लाखों में)
1—गोदी विस्तार योजना (1962)	17.47
2—गोदी में विद्युत् वितरण पद्धति का पुनर्संगठन, क्रम-2	7.15
3—मुख्य पत्तन जलमार्ग का निकर्षण मुख्य योजना, क्रम-1 और 2	31 92
4—प्रशासनीय कार्यालय भवन का विस्तार	8.10
5—अन्तोपग्राम में गैर-अनुसूचित कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण (1,560 इकाइयां)	19.98
6—अलेक्जेन्ड्रा गोदी में 54 बिजली क्रेनों की खरीद और उनका लगाया जाना	44 46
7—अलेक्जेन्ड्रा गोदी के प्रवेश लाक पर मौजूदा रिगबेस्क्यूल पुल को हटा कर एक नये पुल का निर्माण	20.06
8—रेल की पटरी और स्लीपरों का नवीकरण	13.57
9—गोदी विभाग के श्रम कार्यालय के कर्मचारियों के लिये कार्यालय की व्यवस्था	5.34
10—एक 120 टन की तिरती क्रेन की खरीद	5.99

5—**पोर्ट ट्रस्ट रेल** : स्थानीय यातायात में कमी हुई। डिब्बों और टनभार के रूप में तुलनात्मक संख्याएं ये हैं —

	डिब्बे		
	आने वाले	जाने वाले	टन भार
1962-63	9,480	17,940	358,800
1963-64	9,335	15,764	319,000

1962-63 की तुलना में विदेशी यातायात में भी कुछ कमी हुई। डिब्बों और टनभार के रूप में संख्याएं नीचे दी जाती हैं :—

	डिब्बे		
	आने वाले	जाने वाले	टन भार
1962-63	127,272	143,310	4832,300
1963-64	113,408	143,738	4626,700

विचाराधीन वर्ष में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे ने लगभग 48.71 लाख रुपये का घाटा दिखाया है। यदि 2.94 लाख रुपया सीमा शुल्क का बकाया न मिल गया होता तो लगभग 51.65 लाख रुपये का घाटा होता। पिछले वर्ष 53 81 लाख रुपये की कमी थी किन्तु सीमा शुल्क की बड़ी बकाया की राशि मिल जाने के कारण 1962-63 के रेल के खाने में 18.12 लाख रुपये का अधिशेष रहा।

6—**लोचालन का विराम काल और जहाजों के माल लादने और उतारने की गति** : 1963-64 में गोदी का उपयोग करने वाले जहाजों की सबसे बड़ी संख्या 15 मई 1963 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक 999 थी। उस पखवाड़े में औसत विराम काल 4.4 दिन था। इसके विपरीत 15 सितम्बर 1963 को समाप्त होने वाले पखवाड़े में सबसे कम विराम काल 5 8 दिन का था।

1000 टन और इससे ऊपर के जहाजों की माल लादने और उतारने की सबसे तेज गति 1963-64 में इस प्रकार है :—

(टनों में)

विराम काल में प्रतिदिन की सबसे अधिक औसतधार

	1962-63	1963-64
उतारना (आयात)	3020	2640
लादना (निर्यात)	2291	1680

पीस रेट स्कीम के अन्तर्गत माल की उठाई धराई 134 प्र० श० अधिक थी जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष यह संख्या 129 प्र० श० थी।

7—**श्रम** : (क) विचाराधीन वर्ष में पत्तन के मजदूरों ने कुछ समय तक काम नहीं किया था।

(ख) पोर्ट ट्रस्ट के कल्याणकारी उपायों में कई कार्य किये गए, जैसे खेल-कूद, मनोरंजन कार्य, नाना प्रकार के मनोरंजक खेल, सैर-सपाटा, स्कूल, छात्रवृत्तियां, खानपान-गृह, सामान्य चिकित्सा, स्त्रीनिदानगृह, वाचनालय और पुस्तकालय इत्यादि।

8—**कर्मचारी** : 1963-64 में कर्मचारियों पर सम्पूर्ण व्यय 731.02 लाख रुपये का हुआ। इसके विपरीत पिछले वर्ष यह संख्या 793.54 लाख रुपये थी।

62.52 लाख रुपयों की कमी का कारण बकाया राशि की अदायगी में कमी के कारण था जो वेतनमान के पुनर्विचार के कारण था। इसमें थोड़ी विस्थिति गैर-अनुसूचित और अनुसूचित अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने के कारण भत्ते, मजदूरी और वेतन में बढ़ने के कारण हुई है।

1963-64 में डाक्टरी सहायता में सम्पूर्ण व्यय 6.88 लाख रुपये का हुआ। 1962-63 में यह राशि 6.26 लाख रुपये थी।

9—पोर्ट ट्रस्ट मंडल ने उपयोगी कार्य का अपना दूसरा वर्ष समाप्त किया और भारत सरकार इसका अनुमोदन करती है।

नरेन्द्र पाल माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 16th March 1965

No. 4/2/64-SR(R)-A.—The hill areas of Assam comprising the Garo Hills, the United Khasi and Jaintia Hills, the Mizo Hills, the United Mikir and North Cachar Hills districts are administered subject to the special provisions of the Sixth Schedule to the Constitution which confer a certain measure of autonomy on these areas. It has been represented to the Government of India from time to time that for accelerating the pace of and ensuring fuller participation of the people in the development of these areas, and for safeguarding more effectively the interests of the tribal people, it is necessary to widen the autonomy enjoyed at present by these areas. The Government of India after giving careful consideration to the needs of these areas and the necessity in the interest of the people of the hill areas themselves of enabling them to participate in the larger political and economic life of the State, have come to the conclusion that it would be desirable for the hill areas to have a full measure of autonomy subject to the preservation of the unity of Assam, the continuance of a common legislature for the whole State of Assam and the maintenance of the Cabinet Government of the accepted form functioning on the basis of collective and joint responsibility to the State Assembly.

The general pattern of the administrative set-up which might be evolved for the hill areas of Assam was discussed by the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, with some of the hill leaders and certain broad conclusions were reached. The Government of India consider it necessary that a detailed scheme for the reorganisation of the administrative set-up of these areas on the basis of those discussions and conclusions should be drawn up by a Commission to be appointed for the purpose, after careful study of the various aspects of the problem involved. The Government of India have, accordingly, in consultation with the Government of Assam, decided to appoint a Commission consisting of—

1. Shri H. V. Pataskar — *Chairman*
2. Shri C. S. Venkatachar — *Member*
3. Shri G. S. Rau — *Member*

2. Having regard to the main objectives of conferring a full measure of autonomy on the hill areas, subject to the preservation of the unity of the State of Assam, the continuance of a common legislature for the whole State of Assam and the maintenance of the Cabinet Government of the accepted form functioning on the basis of collective and joint responsibility to the State Assembly, the Commission will recommend a detailed scheme for reorganising the administrative set-up of the hill areas. The Commission will also recommend the administrative, financial and legal measures necessary for giving effect to the scheme.

3. The Commission will consider whether in the light of the scheme which they may suggest for the administration of the hill areas, it is necessary to make changes in the powers and functions of the District and Regional Councils constituted under the Sixth Schedule to the Constitution and recommend after examining the working of the District and Regional Councils, what changes, if any, should be made in that Schedule.

4. The Commission will be at liberty to devise its own procedure for its work including collection of information and ascertaining public opinion. The Commission will ordinarily hold its sittings in private.

5. The Commission will have a Secretary and such staff and officers as may be considered necessary.

6. The Commission will make its recommendations to the Government of India as soon as may be practicable and not later than the 30th June 1965.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc. and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to the Chairman and the Members of the Commission.

HARI SHARMA, Special Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

RESOLUTION

New Delhi, the 11th March 1965

No. 20(1)/64.—*Handicrafts.*—The Government of India have decided to nominate Shrimati Rajen Nehru, Shrimati Rani Rajwade and Shrimati Manorama Sarabhai, non-officials as members of the All India Handicrafts Board as reconstituted, *vide* this Department's Resolution No. 20(1)/64-Handicrafts, dated the 28th December 1964, with immediate effect.

2. The term of office of Shrimati Rajen Nehru, Shrimati Rani Rajwade and Shrimati Manorama Sarabhai will be same as for other non-official members of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

P. SITARAMAN, Dy. Secy

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 11th March 1965

No. 1(6)-*Tex(I)*/65.—In the Government of India Ministry of Commerce Resolution No. 3(9)-Tex(A)/64, dated the 27th October 1964, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I Section 1 on the 27th October 1964, the following amendment shall be made, namely,

For the existing paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely,

"3. The Committee shall meet as often as may be necessary."

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

New Delhi, the 16th March 1965

No. 28(32)-*Tar*/64.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tariff Commission (Conditions of Service) Rules, 1952, namely :—

1. These rules may be called the Tariff Commission (Conditions of Service) Amendment Rules, 1965.

2. In the Tariff Commission (Conditions of Service) Rules, 1952, after sub-rule (2) of rule 4, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Where any member referred to in sub-rule (2) is re-appointed as a member of the Commission, he shall be entitled to carry forward any leave earned by him, but not availed of, during the period of his first appointment as member, to the leave which he may earn during the period of his re-appointment."

S. BANERJEE, Dy. Sec.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th March 1965

No. 6-32/64-*C(G)*.—The Government of India have decided that

1. Dr. S. M. Sikka, Agricultural Commissioner, Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture), *New Delhi*;
2. Dr. J. S. Kanwar, Director of Research, Punjab Agricultural University, *Ludhiana;* and
3. Dr. S. Pradhan, Head of the Division of Entomology, Indian Agricultural Research Institute, *New Delhi*,

will also be members of the Panel of Agricultural Scientists constituted under this Ministry's Resolution No. 6-32/64-C(G), dated the 17th August 1964.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies), All Members of the Panel of Agricultural Scientists, Directors of Agriculture and Animal Husbandry in all the States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

G. R. KAMAT, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

New Delhi, the 12th March 1965

No. F. 1-3/64-*SE.1(BSE6)*.—Shri S. K. Mukherjee, Deputy Agricultural Commissioner (Education), has been nominated by the Indian Council of Agricultural Research as their representative on the Central Advisory Board of Education for a period of three years ending 31st March 1967.

L. W. DHUME, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

PORTS

RESOLUTION

New Delhi, the 20th March 1965

No. 8-*PG*(158)/64.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Bombay for the year 1963-64. The note-worthy features of the Report are reviewed below :—

(1) *Financial Position.*—The total revenue of the Port Trust during the year under review was Rs. 1,633.73 lakhs as against Rs. 1429.30 lakhs in the year 1962-63. The total expenditure during the year was Rs. 1,483.02 lakhs as against Rs. 1,248.34 lakhs in the previous year. There was thus a surplus of Rs. 150.71 lakhs. The appreciable increase in receipts was mainly due to higher income from wharfage, settlement of certain arrears of rent and rise in interest on the Port Trust's investments. A notable feature of the Revenue Expenditure was a new contribution of Rs. 2 crores made to the General Reserve Fund and the enhancement by Rs. 80 lakhs in the contribution to the Renewals and Replacement Fund. The total balances in the Port Trust's Reserve Funds amounted to Rs. 31.01 crores at the end of the year. Of the outstanding debt of Rs. 16.80 crores, the amount due to the public was Rs. 6.55 crores and to Government Rs. 9.13 crores, the balance of Rs. 1.12 crores being internal loans held by the Trustees themselves. For repayment of loans, the trustees have built up a balance of Rs. 6.34 crores in the General Sinking Fund and of Rs. 3.75 crores in a Suspense Account to repay the loan for the Marine Oil Terminal.

(2) *Traffic.*—The dead weight tonnage handled at the Port during 1963-64 was 17,349,000 of which Imports accounted for 11,885,000 tonnes and Exports 5,464,000. The corresponding Imports and Exports during 1962-63 were 11,077,000 and 4,861,000 tonnes respectively, totalling 15,938,000 tonnes.

The number of overseas passengers who used the port during 1963-64 was 1,54,057 while the number of coastal passengers was 723,851.

(3) *Shipping.*—The number of vessels, which entered the Port during the year was 3,276 of 22.56 million gross registered tonnes, as against 3,346 of 21.77 million tonnes in 1962-63. The largest vessel, which entered the Port during the year was the s.s. "Rotterdam", with a gross tonnage of 38,645, and the largest tank steamer was the s.s. "Esso Edinburgh" with a gross tonnage of 31,685.

The number of sailing vessels that used the port during the year was 38,027 as against 38,985 during the year 1962-63.

Dry Docking and Ship repairs.—During the year 120 vessels used the Dry Docks. The number of vessels which were berthed in the West Docks for repair purposes was 71 including 19 vessels berthed at the Alexandra Docks.

(4) *Works.*—The following are some of the important works on which expenditure was incurred during the year :—

	Name of Works	*Expenditure in lakhs*
(*i*)	Dock Expansion Scheme (1962) ..	17·47
(*ii*)	Reorganization of the electrical distribution system in the docks. Phase-II.	7·15
(*iii*)	Dredging of the main Harbour Channel Main Scheme—Phase I & II.	31·92
(*iv*)	Extension of the Administrative offices building.	8·10
(*v*)	Constructing quarters for non-scheduled staff at Antop Village (1560 Units).	19·98
(*vi*)	Purchase & Erection of 54 Nos. Electric Cranes in Alexandra Docks.	44 46
(*vii*)	Construction of a new bridge in replacement of the existing Rim Bascule Bridge over the Entrance lock, Alexandra Dock.	20·06
(*viii*)	Renewals of Rails & sleepers .. .	13·57
(*ix*)	Providing office accommodation for the staff of the Labour Office of the Docks Deptt.	5·34
(*x*)	Purchase of a 120 ton floating crane ..	5·99

(5) *Port Trust Railway.*—There was a decline in the volume of local traffic. The comparative figures in terms of wagons and tonnages are as follows :

	Wagons		Tonnes
	Inward	Outward	
1962-63	9,480	17,940	358,80
1963-64	9,335	15,764	319,00

There was some reduction in the volume of foreign traffic also as compared to 1962-63. The figures in terms of wagons and tonnage were as follows :

	Wagons		Tonnes
	Inward	Outward	
1962-63	127,272	143,310	4,832,300
1963-64 .	113,408	143,738	4,626,700

The working of the Bombay Port Trust Railway during the year under review has resulted in a deficit of about Rs. 48,71 lakhs. But for the receipt of arrears of terminals amounting to Rs. 2.94 lakhs, the deficit would have amounted to about Rs. 51.65 lakhs. The corresponding deficit during the previous year was Rs. 53.91 lakhs but due to the credit of huge arrears on account of terminals, the railway account for 1962-63 showed an ultimate surplus of Rs. 18.12 lakhs.

(6) *Turn-round of shipping and pace of loading and unloading of vessels.*—The highest number of vessels using the Docks during the year 1963-64 was 111 during the fortnight ended 15th May, 1963. The average turn-round during that fortnight was 4.4 days, as against the slowest turn-round of 5·8 days during the fortnight ended 15th September, 1963.

The fastest rate of unloading and loading of vessels which worked 1000 tonnes and over during the year 1963-64 was as follows :—

(In tonnes)

	Fastest average rate per day of turn-round	
	1962-63	1963-64
Unloading (Import) . ..	3,020	2,640
Loading (Export) ..	2,291	1,680

The cargo handled under the piece rate scheme was 134% over the datum as against 129% during the previous year.

(7) *Labour.*—(a) There were some stoppages of work by Port Workers during the year under review.

(b) The Port Trust's welfare measures covered a variety of activities namely, sports, recreation, variety entertainments, excursions, schools, scholarships, canteens, general medical attention, women's clinics, reading rooms, and libaries, etc.

(8) *Staff.*—The total expenditure on staff during 1963-64 amounted to Rs. 731.02 lakhs, as against Rs. 793.54 lakhs during the previous year.

The decrease of Rs. 62.52 lakhs was accounted for by a sharp reduction in the payment of arrears arising out of the revision of pay-scales, partly offset by an increase in salaries, wages and allowances due to the engagement of additional staff on both the scheduled and non-scheduled establishments.

The total expenditure on medical aid amounted to Rs. 6.88 lakhs during 1963-64 as against Rs. 6.26 lakhs in the year 1962-63.

(9) The Port Trust Board carried out another year of useful work and the Government of India view it with appreciation

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 6th March 1965

No. DW.V.512(11)/64.—Further to this Ministry Resolution No. DW.V.512(11)/64, dated the 20th August 1964, Government are pleased to extend the period for submission of the report of the Technical Committee constituted to make a scientific assessment of the problem of floods in Delhi and neighbouring areas and to suggest a comprehensive scheme of flood control, up to the end of March 1965.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to State Governments of Punjab and Rajasthan, the Union Territory of Delhi, all the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Comptroller and Auditor General of India and the Planning Commission for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Punjab and Rajasthan be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965